



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/

दिनांक:

जिला कलक्टर

एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

जिला.....

विषय:- जन्म/मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र में ई-साईन/डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप राज्य में कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र में ई-साईन अथवा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के निर्देश प्रसारित किए गये थे। परन्तु समीक्षा उपरान्त यह पाया गया है कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है तथा आपके जिले में कार्यरत कई रजिस्ट्रार/ उपरजिस्ट्रार द्वारा ई-साईन अथवा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अपितु मैन्युअल हस्ताक्षर से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं जो कि राज्य सरकार के निर्देशों एवं I.T. Act 2000 के नियमों की अवहेलना है, साथ ही रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम, 1969 की धारा 7 के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों एवं दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना भी दर्शाता है।

यह उल्लेखनीय है की वेबपोर्टल 'पहचान' पर मैन्युअल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा को दिनांक 31.12.2017 के पश्चात् पूर्णतया समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उचित होगा कि आमजन की सुविधा एवं प्रमाण पत्रों को वेबपोर्टल 'पहचान' से जारी किये जाने की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से यथावत रखने की दृष्टि से आपके जिले में कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार/ उपरजिस्ट्रार को प्रमाण पत्रों को ई-साईन/डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा ही जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः इस सम्बन्ध में जिले के समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को राजकार्य में उक्त लापरवाही नहीं दोहराये जाने के संबंध में पाबन्द करे एवं निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के विरुद्ध जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम 2000 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

— Sd —

(अखिल अरोरा)


प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:- एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/ ७७८४

दिनांक: - 18/12/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम.....
3. श्री अमित अग्रवाल, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, जयपुर।
4. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव